PRINT

हिन्दुस्तान

National News Paper	Edition: Bokaro (Jharkhand)	Circulation: 61883
Date: 27.07.2026	Page No 04	Serial No.:

85 छापे, 1277 मीट्रिक टन कोयला जब्त

दबिश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के अनुसार बीते 20 से 26 जुलाई (एक हफ्ते) के बीच विभिन्न कोयला सहायक कंपनियों में खुफिया जानकारी के आधार पर 85 छापे मारे गए। इसमें कुल 1,277 मीट्रिक टन अवैध रूप से खनन और परिवहन किया जा रहा कोयला जब्त किया गया। इस दौरान एक प्राथमिकी दर्ज की गई, पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया और अवैध खनन-परिवहन में शामिल 40 वाहन जब्त किए गए। यह जानकारी सीआईएसएफ के पीआरओ ने रविवार को प्रेस बयान जारी कर दी है।

जारी बयान में बताया गया है कि देशभर में अवैध कोयला खनन, चोरी और अनधिकृत परिवहन के खिलाफ अभियान और तेज कर दिया गया है। यह कार्रवाई खान एवं खनिज (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर एक्ट) के प्रावधानों के तहत की जा रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर जीरो कोल लीकेज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सीआईएसएफ ने कहा है कि यह कार्रवाई एमएमडीआर एक्ट के तहत मिली वैधानिक शक्तियों तथा कोयला कंपनियों एवं स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी समन्वय से की गई है।

विभिन्न कोयला सहायक कंपनियों में की गई है कार्रवाई

- **बीसीसीएल, धनबाद (पूर्वी क्षेत्र)** : 14 छापे, 771 मीट्रिक टन कोयला बरामद, दो गिरफ्तार, एक वाहन जब्त।
- **ईसीएल, शीतलपुर (उत्तर पूर्वी क्षेत्र-2)** : 51 छापे, 341 मीट्रिक टन कोयला बरामद, 34 वाहन किया गया जब्त।
- **सीसीएल, कारगली** : 11 छापे, 145 मीट्रिक टन कोयला बरामद।
- **एनके पिपरवार** : 6 छापे, 20 मीट्रिक टन कोयला बरामद, एक प्राथमिकी दर्ज, तीन वाहन जब्त।
- **एसईसीएल, बिलासपुर** : 3 छापे, तीन गिरफ्तार, दो वाहन जब्त।